

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुसारा-2
संख्या: ६०४ /VII-1/2018-17-उद्घोष /2013
देहरादून : दिनांक: // : सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में सूख, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत उद्यम क्षेत्र में प्रवेश को सुगम बनाने पूर्जी निवेश के प्रवाह तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक विद्यारोपण वृहत उद्यमों (श्रेणी-1) के विकास हेतु एतद्वारा वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2018 लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

१. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ:

- (क) यह नीति उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 कहलायेगी।
- (ख) यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा अधिकतम पाँच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

२. प्रस्तापना:

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सूख, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा लार्ज(रुपये 50 करोड़ से अधिक पूर्जी निवेश) संग्रह एवं अल्ट्रा मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु सूख, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 और मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति-2015 स्थीकृत की गयी है।

उक्ता नीतियों से परिमाणित सूख, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए विनियोगित पूर्जी निवेश की सीमा और लार्ज/प्रागा/अल्ट्रा मेगा श्रेणी के उद्यमों के लिए नियरित पूर्जी निवेश के अनुसार, मध्यम श्रेणी (विनिर्माणक उद्यमों के लिए यंत्र व संयंत्र में अधिकतम पूर्जी निवेश रु. 10 करोड़ तथा सेवा उद्यमों के लिए उपर्युक्त व संयंत्र में न्यूनतम पूर्जी निवेश रु. 5 करोड़) तथा लार्ज श्रेणी (भूमि, भवन तथा यंत्र व संयंत्र में न्यूनतम पूर्जी निवेश रु. 50 करोड़) के मध्य वृहत श्रेणी के उद्यमों (श्रेणी-1) में पूर्जी निवेश के लिए वर्तमान में राज्य सरकार की कोई प्रोत्साहन नीति उपलब्ध नहीं है। इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018, प्रख्यापित करना अपरिहार्य हो गया है। इस नीति का उद्देश्य, ऐसे विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम, जो न. वा. एम०एस०एम०इ० नीति के अन्तर्गत और न ही मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 से आचानक हो, को विद्वान प्रोत्साहन देकर राज्य में नये वृहत उद्यम (श्रेणी-1) की स्थापना अथवा विद्यमान उद्योगों के विस्तारिकरण के लिये निवेश आकर्षित कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही वृहत उद्यमों के लिये एक ढांचा तैयार करना है।

३. नीति का दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन:

उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 का दृष्टिकोण उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है जिससे पूर्जी निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित हो सके एवं प्रदेश के स्थायी समर्कत तथा सतुरित आर्थिक विकास को बल भिले सके।

३.१ ध्येय (मिशन)

- १) प्रदेश में पूर्जी निवेश बढ़ाना और इनमें अतिरिक्त पूर्जी निवेश को प्रोत्साहन।
- २) मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत उद्यम (श्रेणी-1) क्षेत्र में प्रवेश को सुगम बनाना।

- 3) व्यापार अनुकूल घातावरण बनाने के लिए व्यवस्नाय करने की सहजता को बढ़ावा देना।
 4) कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा संरोजगार के अवसर सृजित करना।
 5) वृहत विनिर्णयक तथा सेवा उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
 6) युवाओं में नवाचार की भास्त्रना को बढ़ाना एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
 7) संतुलित, स्थायी एवं समेकित आर्थिक विकास के लिए नीति का प्रभावी क्रियान्वयन।
- 3.2 दृष्टिकोन (विज्ञ) प्राप्त करने के लिये प्रस्तावना
 प्रदेश सरकार निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से दृष्टिकोन (विज्ञ) को प्राप्त करने का प्रयास करेगी:
- 1) अवस्थापना को सक्षम बनाना – नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवसरण सुविधाओं को उन्नयन करना।
 - 2) रोजगार सृजन – रोजगार के नए अवसरों की रचना।
 - 3) वित्तीय प्राप्तिशालीन – निवेश आकर्षण।
 - 4) व्यापार करने में सहजता – एक अनुकूल औद्योगिक घातावरण बनाना।
 - 5) मेक इन उत्तराखण्ड – मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाना।
 - 6) कुशल कार्यबल – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना।
 - 7) नवाचार – स्टार्टअप को बढ़ावा।
 - 8) सम्पूर्ण लघु एवं मध्यम तथा वृहत उद्योगों का समेकित विकास सुनिश्चित करना और इनमें अतिविकासी पूजी निवेश को प्रोत्साहन।
 - 9) घरेलू एवं चाउलक परिवेश – वाह्य कारकों से लाभ प्राप्त करना एवं उनके प्रति अनुक्रियाशीलता।
- 3.2 नीति का क्रियान्वयन
- यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी होगी। राज्य सरकार के विविकानुसार नीति को संशोधित, विस्तारित या बदल किया जा सकता है, यदि इस नीति में कोई संशोधन अथवा परिवर्द्धन किया जाता है, तो भी सरकार द्वारा इकाई को पूर्व स्वीकृत पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा एवं इकाई को पूर्व स्वीकृत लाभ मिलते रहेगे।
- इस नीति के तहत वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने की तारीख से अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष के लिए पात्र उद्यम/इकाइयां नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन और विधायक प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते ये नीति की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तावित गतिविधि/उत्पाद का वाणिज्यिक संचालन/उत्पादन शुरू करें।
- इस नीति के तहत प्रोत्साहन/लाभ का दावा करने के लिये प्रधालनात्मक दिशा निर्देश अलग से जारी किया जायेगे।
- (क) यदि इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिये अधिकृत होगा।
 - (ख) विनिर्दिष्ट प्राविधानों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर, स्पष्टीकरण में व्याख्या करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

4. परिणामों

(1) पूँजीगत निवेश

- (क) १०% वार्षिकीय कुहता उद्योग (श्रेणी-१), जहा संयंत्र और मशीनरी में विनिधान रु० १० करोड़ से ज्यादा की किंतु गेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति-2015 में नामों पोर्जेनटर्स के लिये निश्चित पूँजीगत सीमा रु. 50 करोड़ से कम हो।
- (ख) सेवा प्रदाता पूहता उद्योग (श्रेणी-१), जहा उपस्कर में विनिधान रु. ५ करोड़ से ज्यादा की किंतु भेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति-2015 में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये निश्चित पूँजीगत सीमा रु. 50 करोड़ से कम हो।

(2)

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार ग्राहक के विनिर्माण की शुरुआत जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं गशीनरी का सम्पादन हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुरूप हों।

(3)

'ओद्योगिक इकाई' का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय/नियम के माध्यम से संचालित इकाई से भिन्न कोई ओद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा प्रदाता इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।

(4)

'विनिर्माण कार्य' का अर्थ है वह कार्य जो निर्जीव मौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है (i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है, अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक विश्रण अथवा भिन्न जांच के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।

(5)

'नई ओद्योगिक इकाई' का अर्थ है वह ओद्योगिक इकाई जिसने नीति लागू होने की अधिसूचना जारी होने की तारीख अथवा उसके बाद इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में नई ओद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम स्थापना उक्त तिथि से पूर्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हो।

(6)

'योग्यता विस्तार' की 'इकाई' का अर्थ है क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के प्रयोजन के लिये इकाई के पूर्व स्वरूप में क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में स्थिर पूँजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की हो तथा मौजूदा इकाई के विस्तार के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अंतर्गत वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम के विस्तारीकरण के लिये उक्त तिथि से पूर्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हो।

- (ए) गोपनीय कानून, वाणिजिक और उद्योग प्रकाशन, औद्योगिक सहायता संचालन, उद्योग भवन एवं इनकी में कर्ता उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिये आईबीएम (Industrial Entrepreneurs Memorandum) दाखिल कर उसकी अधिसूचित प्राप्ति की गयी हो।
- (ग) केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना/नीति के तहत पहले से समान प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाईयों नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहनों की पात्र नहीं होंगे।
- 6. नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन/लाभ**
- (क) रिहर्कुल द्वारा भूमि आवंटन: इस नीति के तहत सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का 50% प्रीमियम, भूमि के आवंटन पर ही देय होगा और शेष राशि अगले 2 वर्षों में दो संसान किशर्तों गे, ब्याज के साथ देय होगी। यदि भूमि आवंटन पर पूरा 100% भुगतान किया जाता है, तो भूमि के प्रीमियम की गणना में 5% की छूट दी जायेगी।
- (ख) नीति के तहत अन्य सिध्यायों और प्रोत्साहन
- (1) परियोजनाके लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान से लिये गये सावधि ऋण पर लागू साधारण ब्याज दर में 5 प्रतिशत, अधिकतम रु 3 लाख प्रति इकाई/प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति। यह सुविधा अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अनुमत्य होगी।
 - (2) उद्यम की स्थापना/विस्तार के लिये क्रय/लीज पर ली गयी भूमि के क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन में स्टॉम्प शुल्क प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट।
 - (3) इटीपी की स्थापना के लिये 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 20 लाख तक का पूंजीगत उपादान।
7. यह आदेश वित्त अनुसार-2 के अशासकीय संख्या-13/XXVII(2)/2018, दिनांक 28.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनीष पंवर)
प्रमुख सचिव।

संख्या: ८०६ (१) /VII-1/ 2018/17-उद्योग/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव-मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अमर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव गोपन (मन्त्रीमार्शद) अनुसार, उत्तराखण्ड शासन।
5. अधिकृत, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
6. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
8. अहन्ध निदेशक, सिडकुल, आईबीएमपार्क, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विदेशक, एनोआइसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी गोपन में प्रकाशित करने का काट कर।
12. डाक फाइल।

आज्ञा/से,
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव